



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122022-241019
CG-DL-E-13122022-241019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944

No. 308]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022

सं. 43 / 2015—2020

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के परिशिष्ट 4-अ में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/115/एम-17/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के परिशिष्ट 4-अ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. परिशिष्ट 4-अ की क्र सं. 10 पर मौजूदा प्रविष्टि को संशोधित किया जाता है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

| | | |
|----------|---------------------------------------|--|
| क्रम सं. | आयात मद (मदें) | सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से पूर्व-आयात शर्त क साथ निर्यात दायित्व अवधि |
| | आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 7 और | |

| | | |
|----|--|--------|
| 10 | अध्याय 15 के तहत शामिल सभी मदों के निर्यात हेतु मानदंड समिति द्वारा मानदंड के अधिसूचित सिओन/पूर्व निर्धारण के तहत यथा अनुमत आयात मदें (शी नट या शी बटरको छोड़कर) | 90 दिन |
|----|--|--------|

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

आयात मद शी नट या शी बटर को परिशिष्ट 4-अ की क्र सं. 10 से तत्काल प्रभाव से बाहर किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th December, 2022

No. 43/2015-2020

Subject:- Amendment in Appendix 4J of Handbook of Procedures 2015-20- reg.

F. No. 01/94/180/115/AM17/PC-4.—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Appendix 4J of Handbook of Procedures, 2015-2020:

1. The existing entry at Sl.no. 10 of Appendix 4J is amended to be read as under:

| Serial No. | Import Item(s) | Export Obligation Period with pre-import condition from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority |
|------------|--|---|
| 10 | Import items (except Shea Nut or Shea butter) as allowed under notified SION/prior fixation of norms by NC for export of all items covered under Chapter 7 and Chapter 15 of ITC (HS) Classification. | 90 days |

Effect of this Public Notice:

The import item Shea Nut or Shea Butter is excluded from serial number 10 of Appendix 4J with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, DGFT, Ex-officio Addl. Secy.